UPAG020070632024

Matrimonial Case/3467/2024

न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय सं.–2, आगरा।

J.O. Code- UP 6185

श्रीमती रोली शर्मा उर्फ रूबीना बनाम वरूण शर्मा।

दिनांक–28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर याचीगण उपस्थित।

याची सं. 1 द्वारा आज न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.10.2025 पर बल देते हुए इस आशय का कथन किया गया है कि याची सं. 1 व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से इस याचिका में आगे कोई बल नहीं देना चाहती है और इस वाद को वापस लेना चाहती है। अतः उपरोक्त याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

याची सं. 1 द्वारा आदेश पत्रांक के हाशिये पर कुछ इस प्रकार के कथन अंकित किए गए हैं–''**मैं रोली शर्मा वाद में बल नहीं देना चाहती।**''

इसी आशय के कथन याची सं. 2 द्वारा भी आदेश पत्रांक के हाशिये पर अंकित किए गए हैं–''**मैं वरूण शर्मा वाद में बल नहीं देना चाहता।**''

चूँकि याची संख्या–1 एवं याची संख्या–2 स्वयं आपसी सहमति से विवाह विच्छेद नहीं करना चाहते है। ऐसी स्थिति में उक्त में अब कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः याची संख्या–1 एवं याची संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.10.2025 के आधार पर यह वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 28.10.2025 के आधार पर यह वाद निस्तारित/खारिज किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

एस.डी.

अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय संख्या–2, आगरा।